न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 01/2022

दायर दिनांक :- 11.02.2022

उनवान

रामजीलाल बनाम रामेश्वर

प्रार्थना पत्र पुर्नविचार बाबत निर्णय दिनांक 15.12.2021 मु0नं0 162/2018

:: निर्णय ::

दिनांकः 30.08.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता राकेश जैमन द्वारा प्रार्थना पत्र पुर्नवि चार बाबत् निर्णय तारीख 15.12.2021 मु0न0 162/2018 बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 15.02.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता राजकुमार शर्मा को प्रार्थना की प्रतिलिपि दी गई। प्रार्थीया केसर देवी पत्नि रामजीलाल द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली नियत दिनांक 05.07.2022 से तलब होकर दिनांक 14.06.2022 को पेश हुई। दिनांक 27.06.2022 को प्रार्थना पत्र पुर्नविचार बाबत् निर्णय तारीख 15.12.2021 मु0न0 162/2018 से सम्बन्धित मूल पत्रावली को प्रार्थना के संलग्न कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 05.07.2022 को पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2022 को नियत की गई। दिनांक 24.08.2022 को पत्रावली बहस सुनी गई।

दस्तावेजो के अवलोकन व बहस सुनने के पश्चात सूक्ष्म विश्लेषण विवेचन के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैः-

1. प्रार्थना पत्र पुर्नविचार बाबत निर्णय दिनांक 15.12.2021 के बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्नगत विवरण उल्लेखित किया गया है। इस हेतु न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली तलब की जाकर गहन अवलोकन किया कि "रामजीलाल व रामेश्वर" उक्त वाद- वाद उद्घोषणा, अभिलेख शुद्धि व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 88 (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) व धारा 136 (भू-राजस्व अधिनियम) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। अतः धारा 88 (अधिवृति संबंधी अधिकारों की घोषणा) का अधिघोषणा का अधिकार, धारा 136 में स्वतः समाहित होने की वजह से धारा 88 का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा